रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 1994/अग्रहायण 7, 1916
No. 591] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 1994/AGRAHAYANA 7, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1994

का.आ. 849(अ)—केन्द्रीय सरकार ने, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 पख की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुचित प्राधिकरण, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास का अधिसूचना सं. का.आ. 684(अ), तारीख 24 सितम्बर, 1986 द्वारा गठन किया था;

और श्री सी.वी. पद्मनाभन, आयकर आयुक्त ने 13 जून, 1994 से 16 अगस्त, 1994 (17 अगस्त और 18 अगस्त अवकाश दिन थे) तक की उपार्जित छुट्टी का उपभोग करने के पश्चात् 19 सितम्बर, 1994 को समुचित प्राधिकरण, मद्रास के सदस्य के रूप में पद भार ग्रहण कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269ख की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं.का.आ. 684(अ), तारीख 24 सितम्बर, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ 2 में "समुचित प्राधिकरण, मद्रास" से संबंधित क्रम संख्यांक 4 के सामने आने वाली मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जायेगी, अर्थात् :—

"श्री सी. वी. पद्मनाभन, आयकर आयुक्त"।

[फा.सं. 316/116/94—ओ.टी.]

प्रवीण कुमार, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना का.आ. 684(अ), दिनांक 24-9-86 को प्रकाशित हुई, जिसका समय-समक पर संशोधन हुआ और पिछला संशोधन का.आ. 749(अ) दिनांक 28 अक्तूबर, 1994 को हुआ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 1994

S.O. 849(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 269UB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government constituted Appropriate Authority, Delhi, Bombay, Calcutta and Madras vide notification No. S.O. 684(E), dated 24th September, 1986 ;

And whereas Shri C. V. Padmanabhan, Commissioner of Income-tax has joined as Member, Appropriate Authority, Madras on 19th September, 1994 after availing of Earned Leave with effect from 13th June, 1994 to 16th August, 1994 (17th and 18th were holidays) ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 269UB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. S.O. 684(E), dated 24th September, 1986, namely :—

In column 2 of the Table to the said notification for item (ii) occurring against serial number 4 relating to "Appropriate Authority, Madras", the following item shall be substituted, namely :—

"Shri C. V. Padmanabhan, Commissioner of Income-tax".

[F. No. 316|116|94-OT]

PRAVIN KUMAR, Under Secy.

Note :—The principal notification was published vide S.O. 684(E), dated 24-9-86 amended from time to time and last amendment vide S.O. 749(E), dated 28th October, 1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994